भर्ती हेतु सूचना
परामर्शदाता– जन स्वास्थ्य नियोजन/नियोजन एवं साक्ष्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्यों को तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) का गठन किया गया है। एनएचएसआरसी को राष्ट्रीय रणनीतिक स्वास्थ्य नियोजन और कार्यक्रम निर्माण का भी दायित्व सौंपा गया है।

एनएचएसआरसी, पूर्णतः संविदा आधार पर परामर्शदाता–जन स्वास्थ्य नियोजन/नियोजन एवं साक्ष्य के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

भूमिका एवं दायित्वः

- राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु परामर्शदाता को आवंटित राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) पर उनके विचार/टिप्पणियों को संकलित करने के लिए एनएचएसआरसी के प्रभागों के साथ समन्वय करना।
- फील्ड दौरे करना और आवंटित राज्यों के कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा करना।
- स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने वाले घटकों और/या स्वास्थ्य एवं विकास क्षेत्र से संबंधित अन्य आंकड़ा स्रोतों से आंकड़े एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना।
- विषयगत क्षेत्रों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
- भारत के अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में विकेंद्रीकृत नियोजन और स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- महामारी विज्ञान और एचएमआईएस से प्राप्त जानकारी, दोनों का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य योजनाएं बनाने और योजनाओं की समीक्षा एवं सुधार करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर क्षमता वर्धन करना।
- अध्ययन/मूल्यांकन प्रोटोकॉल विकसित करने में सहयोग करना और आवश्यकतानुसार अध्ययन करना।
- केंद्र और समय–समय पर यथासहमत राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और इसके लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कोई अन्य कार्य करना।

पात्रता :

- स्वास्थ्य प्रशासन, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, निवारक एवं सामाजिक चिकित्सा, जैवसांख्यिकी में स्नातकोत्तर या उच्चतर उपाधि ,जनसांख्यिकी में पीएचडी/स्नातकोत्तर उपाधि।
- स्वास्थ्य प्रणालियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के नियोजन एवं कार्यान्वयन या स्वास्थ्य अनुसंधान में योग्यता उपरांत 2 वर्षों का कार्य अनुभव।
- फील्ड स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम के मूल्यांकन/संचालन/जिला स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण का प्रदर्शित अनुभव।
- राष्ट्र या राज्य स्तर पर एनएचएम में कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
- तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों एवं जिलों की यात्रा करने का इच्छुक और समय सीमा के भीतर कार्य संपन्न करने के लिए एक साथ विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता।
- कंप्यूटर कौशलः एमएस–वर्ड, एक्सेल, पावर पाइंट जैसे आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले पैकेजों में प्रवीणता। डेस्क रिसर्च, साहित्य समीक्षा और अन्य सुसंगत सामग्री तलाशने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता।
- संक्षिप्त, स्पष्ट तकनीकी रिपोर्टें लिखने की योग्यता सहित अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संप्रेषण कौशल। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान भी वांछनीय है।
- उत्कृष्ट संप्रेषण, प्रस्तुति कौशल और अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं के साथ बहुआयामी टीम परिवेश में कार्य करने की प्रदर्शित योग्यता।
- उत्कृष्ट अभ्यर्थियों के लिए औपचारिक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु में ढील दी जा सकती है।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष
कार्य स्थल : नई दिल्ली, आवश्यकतानुसार यात्रा करने को इच्छुक
पारिश्रमिक सीमा : प्रतिमाह 40,000/– रु. से 90,000/– रु. के बीच
संविदा अवधि : दो वर्ष

*संविदा 31 मार्च 2017 के उपरांत तभी वैध रहेगी, बशर्ते एनएचएसआरसी 31 मार्च 2017 से आगे जारी रहता है। यदि एनएचएसआरसी 31 मार्च 2017 से आगे जारी नहीं रहता है, तो संविदा को वापस ले लिया गया माना जाएगा।

टिप्पणी:

- जीवन-वृत्त दिनांक **23-Aug-2016** को **अपराहन 4:00 बजे** तक ई-मेल **rec.nhsrc.2016@gmail.com** पर अवश्य पहुंच जाना चाहिए।
- यह, समाचार पत्र विज्ञापन दिनांक **3 अगस्त 2016** में दी गई ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है।

- कृपया सबजेक्ट-लाईन में सटीक आवेदित पद का उल्लेख करना सुनिश्चित करें, जिसके बिना जीवन-वृत्त स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- यदि उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिए आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग से टीओआर में उल्लिखित अनुसार विशेष ई-मेल पते पर जीवन-वृत्त भेजना होगा।
- अपने जीवन-वृत्त में आयु, डिग्री उत्तीर्ण करने का वर्ष, वर्तमान और पिछले नियोजन की तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य है, जिसके बिना जीवन-वृत्त स्वीकार नहीं किया जाएगा।